



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 977) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 243, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 564 तारीख 29 जून, 2017, जिसे बिहार के राजपत्र, असाधारण अंक, में एस0 ओ0 105 तारीख जून 29, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) शब्द "पचहत्तर लाख रुपये" के स्थान पर "एक करोड़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) शब्द "पचास लाख रुपये" के स्थान पर "पचहत्तर लाख रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3746)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 244, एस०ओ० 243, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3746)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

S.O. 243, dated the 13th October 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Tax Department No. 564 dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* S.O.-105 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) for the words “seventy-five lakh rupees”, the words, “one crore” shall be substituted;
- (ii) for the words “fifty lakh rupees”, the words, “seventy-five lakh rupees” shall be substituted;

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—3746)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 977-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>